लोकतान्त्रिक देशों में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने में जनसंचार माध्यमोंकी भूमिका

डा0 विकास चन्द वशिष्ठ
ऐसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
मेरठ कॉलेज, मेरठ
ईमेलः

विजय कुमार
(शोधार्थी)
राजनीति विज्ञान विभाग
मेरठ कॉलेज, मेरठ

सारांश

आज विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है, जहाँ राजनीति न हो। समाज की व्यवस्था और समाज का संचालन अच्छा रहे इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था परम आवश्यक तत्व है। राजनीतिक व्यवस्था (विशेषकर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था) को चलायमान रखने में राजनीतिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। आधुनिक समय में लोकतन्त्र लोगों की जीवन शैली बनता जा रहा है और यह राजनीतिक सहभागिता की मात्रा पर निर्भर करता है तथा इस मात्रा को बढ़ाने वाले उपकरणों में जनसंचार माध्यम अति महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : *लोकतन्त्र, सहभागिता, राजनीति।*

प्रस्तावना

जनसंचार माध्यम किसी भी राष्ट्र या समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। कई राष्ट्रों के विकास में गतिशीलता लाने में जनसंचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकतर राष्ट्र अब जनसंचार माध्यमों का अधिकतम प्रयोग विकास कार्यों में कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास में जनसंचार व जनसंचार माध्यमों की शक्ति और उपयोगिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसी कारण से यह सभ्यता का पर्याय माना जाता है।[1]और वर्तमान लोकतन्त्र तो बिना सक्षम जनसंचार माध्यमों के मिथ्या और निराधार रह जाता है क्योकि जनता के समर्थन व सहभागिता को प्रचार और लोकसम्पर्क द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार और जनता में तालमेल का ही प्रश्न नहीं, कोई भी समुदाय या सामाजिक एकक अपने घटकों के सहयोग एवं विश्वास के बल पर ही स्थित रह सकता है और इस सहयोग व विश्वास को सामूहिक प्रचार के साधनों– प्रेस, रेडियो, टीवी, चलचित्र आदि की सहायता से ही संकलित एवं संगठित किया जाता है।[2] इसी सन्दर्भ में प्रसिद्ध पत्रकार **बी0के0 नेहरू** का कथन उल्लेखनीय है, उनके अनुसार **'सरकार किसी भी तरीके से बनी हो, उसमे जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तानाशाही सरकारे भी जनसंचार माध्यमों के समर्थन के बिना नहीं चल पाती जबकि लोकतन्त्रीय सरकारों को तो**

जनभावना का ख्याल ज्यादा रखना पडता है इसलिए ही प्रेस को राज्य का चौथा स्तम्भ कहा जाता है।' [3]

सभी प्रकार के शासनों में और विशेषकर लोकतन्त्र में राजनीति और जनसंचार माध्यमों का रिश्ता गहरा होता है। यह माना जाता है कि जिस देश में जनसंचार माध्यमों को जितनी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, वह शासन उतना ही अधिक लोकतान्त्रिक होता है। शायद इसलिए ही **डेनिस मेक्विल** ने कहा है कि **'जनसंचार माध्यम समाज परिवर्तन की यन्त्रशक्ति है।'**[4] लोकतन्त्र के लिए जितनी महत्ता जनसंचार माध्यमों की होती है उतनी ही महत्ता राजनीतिक सहभागिता की भी होती है और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने में अन्य साधनों के साथ–साथ जनसंचार माध्यमों का भी सहयोग होता है। जनसंचार माध्यम राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। जनसंचार के माध्यमों से ही जनता को जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय व्यवस्था में तो नियम व निर्णयों को मात्र मीडिया द्वारा प्रसारित कर देने मात्र से ही स्वीकार कर लिया जाता है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विधानमण्डलों के निर्णयों, एवं प्रशासकीय आदेशों द्वारा प्रतिवर्ष हजारों नये नियम–कानूनों का निर्माण होता है। ये सभी कानून व्यक्तियों पर लागू होते है इसलिए इनका जनता तक पहुँचना आवश्यक है। इन कानूनों को जनता तक पहुँचाने का उत्तरदायित्वमास मीडिया यानी जनसंचार माध्यमों का होता है। कफ्यू, आपातकाल, धारा 144 इत्यादि की घोषणा मीडिया द्वारा ही प्रचारित एवं प्रसारित होती हैं। नागरिकों की विशाल जनसंख्या होने के कारण सरकार द्वारा इन घोषणाओं की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न देकर जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार राज्य व्यवस्था एवं नागरिकों में समन्वय जनसंचार माध्यमों द्वारा ही स्थापित होता है और इन माध्यमों द्वारा ही राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन तथा विकास एवं आधुनिकरण इत्यादि का समावेश होता है।

आधुनिक समय में राज्य के आवश्यक तत्वों में भी कुछ नये तत्व समाहित हुये है। इन तत्वों में से एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता है। जनसंचार के माध्यमों से भी देशों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन इसी मान्यता को पाने के लिए किया जाता है। विश्व की दो महान शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत रूस के मध्य चलने वाले शीत युद्ध में अस्त्र–शस्त्र संचार माध्यम ही थे।[5] इस प्रकार जनसंचार माध्यमों को राज्य के आवश्यक तत्वों में एक माना जा सकता है। जनसंख्या, निश्चित भू–भाग, सरकार, सम्प्रभुता एवं अर्न्तराष्ट्रीय मान्यता राज्य के केन्द्रीय तत्व है। मगर ये आवश्यक तत्व जनमाध्यमों के अभाव में कल्पना में मिल सकते हैं प्रभाव में नहीं। इन तत्वों की सहभागिता संचार पर निर्भर करती है। अतः जनसंचार माध्यम राज्य रूपी शरीर के प्राण हैं। अपनी महत्ता एवं उपयोग के कारण जनमाध्यम आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों के आवश्यक तत्व बन गए हैं।

आधुनिक राजनीतिक विश्व में जनमाध्यम, राजनीतिक संचार के प्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किये जाने लगे हैं। **डेविड ईस्टन के आगत–निर्गत सिद्धान्त**[6] द्वारा राजनीतिक व्यवस्था व उनके सफल संचालन में जनमाध्यमों की भूमिका को सरलता से समझा जा सकता है। संचार माध्यम नागरिकों की समस्याओं, माँगों एवं आन्दोलनों का समर्थन, बढावा

एवं उन्हें सरकार के पास तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। व्यापक प्रसार द्वारा ये जनता की समस्याओं को स्पष्ट एवं परिष्कृत भी करते है। जनमाध्यम द्वारा परिष्कृत एवं पुष्ट मांगों की उपेक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती हैं। सरकार के निर्णयों व नियमों को जनता तक पहुँचाने का कार्य भी जनसंचार माध्यम ही करते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत निर्माण का कार्य भी जनसंचार माध्यमों द्वारा ही सम्पन्न होता है।

आधुनिक युग में सरकारें स्वयं को लोकतान्त्रिक घोषित करने में लगी हुई हैं। सरकार के लोकतान्त्रिक स्वरूप का आधार स्तम्भ लोगों के द्वारा शासन व शासन कार्यों में अधिक से अधिक सहभागिता है। लोकतन्त्र के बौद्धिक और संस्थागत परम्परा की शुरूआत प्राचीन ग्रीकों के द्वारा की गयी, जिन्होने एथेन्स में **'प्रत्यक्ष लोकतन्त्र'** को अपनाया। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने कानून बनाने कि प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर भी विचार किया। प्राचीन राज्यों तक तो यह व्यवस्था उचित थी मगर आधुनिक राज्यों में राजनीतिक संगठनों के लिए यह प्रणाली असंगत तथा अप्रचलित है, इसलिए प्रायः सभी देशों ने प्रतिनिधि लोकतन्त्रों को अपना लिया है जनमें से लगभग 123 देशों में चुनावी लोकतन्त्र है,[7] जो राजनीतिक सहभागिता की मुख्य क्रिया अर्थात मतदान पर बल देता है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की भाति ही प्रतिनिधि लोकतन्त्र में भी राजनीतिक सहभागिता पर बल दिया जाता है तभी तो **जॉन स्टुअर्ट मिल** ने अपने लेख **'ऑन लिबर्टी'** में कामगारों और औरतों के मताधिकार के विस्तार की याचना की।[8] ज्यादा से ज्यादा लोगों की राजनीतिक सहभागिता को लोकतन्त्र की पहचान बताते हुए **शायर इकबाल** ने कहा है कि **''जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें, हाथों को गिना जाता है तौला नहीं जाता''**[9], इससे लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताओं यथा अधिकतम लोगों की सहभागिता व अधिकतम समानता का पता चलता है। वर्तमान में लगभग सभी देशों में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर बल देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की राजनीतिक सहभागिता पर बल दिया जाता है और इसके लिए सभी सरकारों, दलों, नेताओं आदि द्वारा विभिन्न उपकरणों से प्रयास किया जाता है, जिनमें सबसे अधिक व प्रभावी उपकरण जनसंचार माध्यमों को माना जाता है।

किसी भी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए जन–सहभागिता मूल आधार है। वैसे तो राजनीतिक सहभागिता अनेक क्रियाओं में प्रकट होती है, मगर विशेषतः इसका महत्व महत्व मतदान आचरण एवं राजनीतिक अभियान में अत्यधिक है। चुनाव और राजनीतिक अभियान दोनों ही जनसंचार के माध्यमों का सहारा लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में; अपने घोषणा पत्रों, नीतियों, कार्यक्रमों आदि को जनता तक पहुचाना चाहता है और उनके समर्थन में जनमत निर्माण करना चाहता है। जनता एक निष्चित दिषा में कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके; यही सभी राजनीतिक दलों, हित समूहों अथवा प्रभाव समूहों का उद्देश्य होता है। जिन राजनीतिक संगठनों का जनसंचार माध्यमों पर अधिक नियन्त्रण होता है, वह उतना ही जनमत को प्रभावित करने अथवा जनता को राजनीतिक सहभागिता के लिये प्रेरित करने में सफल रहता है। सत्तारूढ़ दल जहाँ एक और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के

लिए वैधता प्राप्ति हेतु जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो दूसरी और विपक्ष जनता से प्रतिरोध के लिए समर्थन चाहता है। सामान्य नागरिक भी समाचारपत्रों, रेडियो, टीवी, सिनेमा, सौशल मीडिया आदि के द्वारा राजनीतिक सूचना, ज्ञान, विचार, समालोचना आदि से परिचित होता है, प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागरूक होता है और फिर उचित ढंग से राजनीतिक सहभागिता के लिए तैयार होता है।[10]

किसी भी शासन व्यवस्था के लिए जनता की उपेक्षा करके शासन का संचालन करना सम्भव नहीं है और चूंकि राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, विचारों एवं आस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को ही राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है और लोगों की शासन व्यवस्था के प्रति बनने वाली इन अभिवृत्तियों, विचारों एवं आस्थाओं का प्रमुख माध्यम जनसंचारमाध्यम ही होते हैं। अतः निष्कर्षतः जनसंचार माध्यम एवं राजनीतिक सहभागिता आपस में घनिष्ठ रूप से जुडे है। किसी भी समाज में राजनीतिक सहभागिता की आवश्यक शर्त ही जनसंचार माध्यमों का स्वतन्त्र एवं सुलभ होना है, इसके अभाव में राजनीतिक भागीदारी हो ही नहीं सकती है।

सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रयास रहता है कि वे जनता का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक समाजीकरण कर सके, ताकि व्यक्ति में राजनीति के प्रति ज्ञान, निपुणता, विश्वास, मूल्य, मनोवृत्तियों आदि का निर्माण हो सके और वे राजनीतिक समुदाय के सुकार्यकारी सदस्य बन सके। राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए राजनीतिक बातों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है और इसके लिए व्यक्ति को राजनीतिक जानकारी और सूचना ये जनसंचार माध्यम ही उपलब्ध कराते हैं। व्यक्ति के व्यक्त्वि के संज्ञानात्मक मानचित्र पर जनसंचार माध्यमों का अपना ही प्रभाव होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, सोशल मीडिया, राजनीतिक बहस आदि विचार निर्माण तथा अभिव्यक्ति के ऐसे साधन है, जिनसे व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों को बनाने, संवारने व उनको प्रकट करने में सक्षम हो पाता है।[11]लोकमत का निर्माण व अभिव्यक्ति भी इन्हीं साधनों से होती है। यही कारण है कि सभी देशों में सभी प्रकार की सरकारें अपने नागरिकों के राजनीतिक अभिमुखीकरणों को इन्हीं के माध्यम से विशेष सांचे में ढ़ालती है। अधिकांश विकासशील देशों में जनसंचार माध्यमों पर सरकारी नियन्त्रण रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकरण की प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहित की जाती है। जनसंचार माध्यम चाहे स्वतन्त्र हों, चाहे सरकार के नियन्त्रण में हों, सदैव ही राजनीतिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करते हैं और जनसहभागिता में वृद्धि करते हैं।

राजनीतिक सहभागिता के लिए जानकारी का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनौपचारिक, शैक्षणिक, सामाजिक–राजनीतिक संदेशों को केवल सरकार से जनता तक ही नहीं बल्कि जनता से सरकार, जनता से जनता, जनसाधारण से निर्णायकों, गाँवों से शहरों एवं शहरों से गाँवों, अभिजनों से शेष लोगों तक और इसी प्रकार सभी स्तरों तक सुविधाजनक रूप से प्रसारित करने का कार्य जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है।[12] राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने वाले अभिकरणों में जनसंचार माध्यमों को ही मुख्य अभिकरण माना जाता है। समाचार–पत्र, पत्रिकायें, रेडियो, इन्टरनेट आदि विचारों के निर्माण और उनकी अभिव्यक्ति के ऐसे साधन हैं

जिनसे व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों को बनाने, संवारने और उनको प्रकट करने में प्रयोग करता है। टी0वी0, रेडियो, सोशल साईटो के द्वारा एक राजनेता एक बार में लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकता है, इसका सरल उदारण मोदी जी द्वारा बार–बार मन की बात रेडियो द्वारा सांझा करने से समझा जा सकता है। टी0वी0, रेडियो, समाचार–पत्र, इन्टरनेट हमें पूरे देश तथा दुनिया की घटनाओं की जानकारी देते रहते है। कानून निर्माण की संस्था संसद में होने वाली चर्चा तथा राजनीतिक विचार–विमर्श को हम ज्यों कि त्यों टी0वी0 पर तुरन्त देख सकते है। विभिन्न राजनीतिक दल जनसंचार माध्यमों के द्वारा लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाते हैं, अपनी उपलब्धियों व विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिससे लोगों की राजनीतिक जानकारी बढ़ती है तथा राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में उनके विचार बनते हैं। वर्तमान में टी0वी0 और इन्टरनेट के माध्यम से तो दुनियाँ की किसी भी घटना की जानकारी तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं, परिवर्तनों आदि से परिचित हो सकते हैं।

आज जनसंचार माध्यम या मास मीडिया (बोलचाल की भाषा में मीडिया) व्यक्ति के जीवन पर पूरी तरह छा गया है। मीडिया द्वारा दी गई सूचना का व्यक्ति के राजनीतिक विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और कभी–कभी तो व्यक्ति के विचारों में पूर्ण परिवर्तन भी हो जाता है। यह नवीन विचारों का निर्माण या विचारों में परिवर्तन होना राजनीतिक सहभागिता के लिए उत्तरदायी है। राजनीतिक सहभागिता के लिए शासन तन्त्र जनसंचार माध्यमों का खुलकर प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि सभी देशों में सभी प्रकार की सरकारे चाहे वे लोकतान्त्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो या सर्वाधिकारवादी हो अपने नागरिकों के राजनीतिक विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों को जनसंचार माध्यमों की सहायता से अपने पक्ष में रखने का प्रयास करती हैं, उनमें परिवर्तन लाती हैं और व्यक्ति के राजनीतिक विचारों में मंथन और मनन का रास्ता खोलती हैं। यह कार्य सीधे तोर से राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है।

अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता में जनसंचार माध्यमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक समाज के मूल्यों को एक पीढी से दूसरी पीढी को पहुँचाना भी सम्मिलित रहता है, इस क्रिया में जनसंचार माध्यम ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मीडिया के द्वारा लाखों–करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है व एक साथ सूचनाएं भी प्रेषित की जाती है,[13] जैसे– जनता की क्या मांग है, कौन किस कष्ट में है, किसका षोशण हो रहा है, कौन कर रहा है, किसने कितना घोटाला किया है, प्रशासन में किस प्रकार का फैरबदल किया गया है, जनता के क्या अधिकार है, उन्हें कैसे पाया जा सकता है, इसमें राज्य की क्या जिम्मेदारी है, कौन से चुनाव कब और कैसे होंगे, कौन–कौन प्रत्याशी है, सरकार क्या नीतियां बना रही है, किस कार्य के लिए किस अधिकारी या दफतर में जाना चाहिए इत्यादि अनेकों बातों की जानकारी जनता को जनसंचार माध्यमों द्वारा ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान में तो इलैक्ट्रोनिक माध्यम के तीव्रतम विकास के कारण समाचार चैनलों की बाढ़ सी आ गयी है, जिन पर विश्व की पल–पल की खबर और प्रायः सभी विषयों पर अलग–अलग विशेषज्ञों

द्वारा बहस होती दिखाई जाती है; जिससे व्यक्ति का सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों की तरफ रूझान बढ़ता है। जनसंचार माध्यमों द्वारा व्यक्ति में राजनीतिक विचारों का निरूपण करके उनका राजनीतिकरण किया जाता है। व्यक्ति का राजनीतिकरण, राजनीतिक समाजीकरण के बाद ही होता है। अतः जनसंचार माध्यम राजनीतिक समाजीकरण में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं, इसके अभाव में व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण तो क्या समाजीकरण भी मुश्किल ही होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को बनाने और उसको राजनीति की और उन्मुख करनेमें जनमाध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से जनसंचार माध्यम ही व्यक्ति को राजनीतिक जगत की जानकारी देते हैं तथा राजनीतिक बातों के प्रति लगाव उत्पन्न कर व्यक्ति का राजनीतिक रूख व सोच तैयार करते हैं। आज जनसंचार माध्यम जिस मुद्दे को उठा दे, वह राष्ट्रीय मुद्दे का रूप धारण कर लेता है। इन्टरनेट क्रान्ति के फलस्वरूप मीडिया के एक नये रूप सामाजिक मीडिया (सोशल मीडिया) का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से लोगों तक न केवल सूचनाएं एवं विचार पहुंचते हैं बल्कि वे अपने विचार व्यक्त करके भी अपनी सहभागिता भी दर्ज कराने लगे हैं। अर्थात जो जनसंचार माध्यम अब तक एक पक्षीय थे (केवल सूचनाएं देते थे) अब द्विपक्षीय हो गयें हैं।[14] इससे लोगों की सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व प्रतिक्रिया देने के अधिक अवसर मिलने लगे है जिससे उनका राजनीतिकरण बढ़ने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ

1.पाण्डेय ज्ञान प्रकाश, *''जनसंचार सिद्धान्त एवं शोध''*, मानक प्रकाशन प्रा0लि0, दिल्ली, 2005, पृ0 **01**

2.राजेन्द्र, *''लोक सम्पर्क''*, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा, 2011, पृं 0**60** व **217**

3.पाण्डेय ज्ञान प्रकाश, ''वही'', पृ0 **57**

4.योजना (पत्रिका), अगस्त 2011, पृ0 **38**

5.फाडिया बी0एल0, *''अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति''*, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ0 **25**

6.वर्मा श्यामलाल, *''आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त''*, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ0सं0 **144**

7.अमर उजाला हिन्दी दैनिक, 17/04/2018, पृ0 **14**

8.भांभरी चन्द्र प्रकाश, *''भारत में लोकतन्त्र''*, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2011, पृ0 **1–2**

9.गाबा ओमप्रकाश, *''राजनीतिक सिद्धान्त के आधार तत्व''*, मयूर पैपरबैक्स, नोएडा, 2005, पृं0 **70**

10.धर्मवीर, ''राजनीतिक समाजशास्त्र'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2008, पृ0 **269–270**

11. शर्मा राजेन्द्र कुमार, *''राजनैतिक समाजशास्त्र''*, एटलान्टिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1996, पृ0सं0 **176–177, 187**

12.इस्सर देवेन्द्र, *''मीडियाः मिथ और मूल्य''*, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली, 2006, पृं0 **10**

13.नेमा जी0पी0, *''राजनीतिक समाजशास्त्र''*, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली,2007, पृ0 **92**

14.शर्मा एल0एन0 व कृष्ण मुरारी, *''राजनीतिक समाजशास्त्र''*, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्रा0 लि0, नई दिल्ली 2014, पृ0सं0 **237**